

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2066/2026**

निर्मला देवी

.....आवेदिका(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदिका(ओं) के अधिवक्ता

: विवेक पांडे, जागृति बर्धन

राव,

ज्योतिका योग शर्मा

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

**न्यायालय संख्या - 13****माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदिका, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 373/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 238 के तहत, थाना ताराबगंज, जिला गोंडा में आरोपी है, के विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.11.2025 को मनजीत सिंह ग्राम प्रधान बनगाँव, जिला गोंडा के द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 238 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने सेकरटेरीपुरवा और कंचनपुर गांवों के बीच एक महिला का शव पाया है।

4. आवेदिका के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्राथमिकी में आवेदिका का नाम नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए उनकी बेटी के बयान में उनका नाम सामने आया है, जिसमें उनकी बेटी ने कहा है कि उनकी बहन अनुराधा (अब मृतक) मोबाइल रखती थी और कभी-कभी किसी अज्ञात व्यक्ति से बात करती थी, जिसके कारण आवेदिका और सह-आरोपी (मृतक का भाई) उसे ऐसा करने से रोकते थे, लेकिन मृतक ने उनसे झगड़ा किया और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए आवेदिका की बेटी के बयान में भी आवेदिका द्वारा मृतक की हत्या का कोई आरोप नहीं है।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि मृतक के मोबाइल की सीडीआर और जांच के दौरान आवेदिका और सह-आरोपी (मनीष) के इकबालिया बयान के आधार पर आवेदिका और एक अन्य सह-आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, लेकिन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। आरोपपत्र परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दायर किया गया है।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अनुसार, अभियुक्तों के इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इकबालिया बयान और आरोपपत्र दाखिल करते समय प्रस्तुत अन्य सामग्री में भी विरोधाभास हैं। आवेदिका लगभग 50 वर्ष की महिला हैं और 30.11.2025 से जेल में हैं। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदिका को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

9. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तर-वार टिप्पणियों और अभियोग दैनिकी के आधार पर यह तर्क दिया है कि आवेदिका ने स्वयं अपने इकबालिया बयान में अपराध स्वीकार किया है और सह-आरोपी (मनीष) ने अपने इकबालिया बयान में स्वीकार किया है कि उसने पहले मृतक का मोबाइल नष्ट किया और फिर उसे जिले के बाहरी इलाके में ले गयी जहां उसने अपनी कार से मृतक को कुचल दिया।

10. इस स्तर पर, आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि शवविच्छेदन आख्या के अनुसार, कुचलने की कोई चोट नहीं है, इसलिए यह दर्शाता है कि इकबालिया बयान सह-आरोपी और वर्तमान आवेदिका के दबाव में दिया गया है, सिवाय इसके कि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करने में असमर्थ हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि यदि सह-आरोपी के इकबालिया बयान के अनुसार मोबाइल कुचला गया था, तो उसके आधार पर मृतक के मामा का पता कैसे लगाया गया, जैसा कि आरोपपत्र में उल्लेख किया गया है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद; इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी और दूसरे सह-आरोपी द्वारा जांच के दौरान कथित इकबालिया बयान के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया गया है और इसके अलावा कोई अन्य सामग्री अभिलेख में नहीं लाई गई है, यहां तक कि आरोपी और दूसरे सह-आरोपी के इकबालिया बयानों में विरोधाभास भी हैं, जो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रदान किए गए हैं; अतः, प्रथम दृष्टया, यह पाया गया है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

12. तदनुसार, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

13. आरोपी निर्मला देवी को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आरोपी मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगी।
- (ii) आरोपी मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- (iii) आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगी।
- (iv) आवेदिका कोई अपराध नहीं करेगी।
- (v) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदिका प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो आवेदिका साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगी।

(viii) आवेदिका धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी।

14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

15. चूंकि यह आदेश आवेदिका को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारणीय न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

23 मार्च, 2026

आशीष

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।